निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक 1937 (श0)

(सं0 पटना 1234) पटना, सोमवार, 26 अक्तूबर 2015

सं0 कारा/नि0को0–1–0–113/06—6348
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

संकल्प
14 अक्तूबर 2015

श्री प्रेम कुमार, काराधीक्षक, (सम्प्रति निलंबित) को उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी में पदस्थापन के दौरान आपूरक श्री रामलखन यादव से 1,00,000/– (एक लाख रूपये) घूस लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा दिनांक 06.11.2006 को रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–73/06 दिनांक 07.11.2006 धारा–7/13 (2) सहपठित धारा–13 (1) (डी0) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 दर्ज किया गया था। उक्त घटना के लिए श्री कुमार को गिरफ्तार होने की तिथि 06.11.2006 के प्रभाव से गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–15799 दिनांक 20.11.2006 के द्वारा निलंबित किया गया था।

2. श्री कुमार के द्वारा जमानत के लिए दायर क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या–52336/2007 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2007 को पारित न्यायादेश में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा योगदान की तिथि 30.11.2007 के प्रभाव से गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1168 दिनांक 31.01.2008 के द्वारा उनको निलंबन से मुक्त कर दिया गया। पुनः समीक्षोपरांत श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1) (ग) सहपठित 9 (3) (i) (ii) के आलोक में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–1353 दिनांक 06.02.2008 द्वारा निलंबित किया गया तथा गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–11454 दिनांक 02.12.2008 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही का संचालन अपर विभागीय जांच आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया गया।

3. श्री कुमार के द्वारा निलंबन से मुक्त करने के लिए दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0–17803/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2009 को पारित न्यायादेश की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री कुमार को गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5315 दिनांक 20.07.2009 के द्वारा निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1353 दिनांक 06.02.2008 को पारित न्यायादेश के आलोक में विलोपित कर दिया गया।

4. निगरानी विभाग द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये कर्मियों/भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितता एवं गबन से संबंधित मामलों के समीक्षोपरांत श्री प्रेम कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर का मामला उक्त श्रेणी का पाकर उनके

विरूद्ध पूर्व से चल रहे विभागीय कार्यवाही के निष्पादन होने तक इन्हें पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक 672 दिनांक 05.02.2014 के द्वारा निलंबित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय जांच आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 34 दिनांक 30.06.2014 के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 6251 दिनांक 04.12.2014 के द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि आपूरक श्री रामलखन यादव द्वारा भुगतान हेतु समर्पित विपत्र पर घटना की तिथि से एक माह पूर्व अर्थात 06.10.2006 को ही हस्ताक्षर कर दिया गया था। यदि उनके द्वारा इसके लिए रिश्वत की मांग की जाती तो उक्त तिथि के पूर्व ही इसकी शिकायत कराई जाती, जो नहीं की गई। साथ ही निगरानी विभाग द्वारा जिन दो गवाहों को बाद में Post trap memorandum में उल्लेख किया गया है, वे complainant श्री यादव के रिश्तेदार है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (3) (ii) (ख) एवं 17 (4) के अनुसार आरोप पत्र के साथ उन दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की सूची, जिनसे आरोप के मदों का सिद्ध होना प्रस्तावित हो, नहीं दी गई है।

6. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर, उनके विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का अधिगम एवं संचिका में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की सम्यक् समीक्षा से स्पष्ट होता है कि :–

(i) आरोपित पदाधिकारी के द्वारा बचाव बयान हेतु जिन अभिलेखों की मांग की गई है उसे निगरानी विभाग द्वारा पुलिस पेपर के रूप में दिनांक 17.03.2009 को माननीय न्यायालय के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करा दिया गया था। पुलिस पेपर के अतिरिक्त और कोई पेपर आरोपित पदाधिकारी को देय नहीं है।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा घूस में ली गई राशि को अपने हाथ से स्पर्श किया गया था क्योंकि इसके बाद ही उनके हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। साथ ही संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाहों का और रिश्वत देने वाले आपूरक का बयान भी दर्ज किया गया है जिसमें उनके द्वारा रिश्वत दिये जाने की पुष्टि की गई है।

इस प्रकार श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 05.01.2015 के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उनके द्वारा उन्हीं बातों/तथ्यों को अंकित किया गया है जिसका उल्लेख उन्होंने अपने बचाव बयान में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा था। संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन पूर्णतः सुनवाई एवं उसका विश्लेषण कर अभिलेखों, साक्ष्यों एवं तथ्यों पर आधारित है जबकि श्री कुमार द्वारा दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से बचने की एक सोची–समझी रणनीति के अन्तर्गत बाद की सुविचारित (After thought) पर आधारित है और स्वीकार्य नहीं है।

7. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत '' सेवा से बर्खास्तगी '' का दंड निरूपित करने का विनिश्चय किया गया।

8. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1695 दिनांक 16.03.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। इसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1291 दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रस्तावित दंड से सहमति व्यक्त की गई है। प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् विश्लेषणोपरांत श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी (सम्प्रति निलंबित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् निम्न दंड अधिरोपित किया जाता हैः–

'' सेवा से बखार्स्तगी का दंड। ''

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री प्रेम कुमार (बिहार कारा सेवा) सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय शहीद जुब्बा सहनी, केन्द्रीय कारा, भागलपुर) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1234-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in